

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
(प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी)

क्रमांक :- 937

दिनांक : 24.04.25

अल्प कालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना 01/2025-26

मंदिर ठिकाना गलता जी एवं अधीनस्थ मंदिर परिसर में पुष्पमाला, पुष्प, फूलबंगला झांकी आदि बागाती सामान की आपूर्ति हेतु अधिकृत सप्लायर्स/पंजीकृत व्यापारियों/ बोलीदाता/संवेदकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई-बोली अनुमानित लागत राशि रु. 18.00 लाख की दिनांक 30.04.2025 को सांय: 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं ई-बोली दस्तावेज वेबसाइट "http://sppp.rajasthan.gov.in" & "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर देखे जा सकते हैं।

UBN: DEV 25366 LRC00013

जिला कलक्टर  
जयपुर


क्रमांक:- 938

दिनांक : 24.04.25

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सीमिति बोली आमंत्रण सूचना का आर.टी.पी.पी. नियमों के तहत नियमानुसार एक दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन करावें।
2. उपापन समिति, संयोजक/सदस्य.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय
4. सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ई-बोली को एसपीपीपी, ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर  
जयपुर



कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
(प्रशासक मंदिर ठिकाना गलताजी)

क्रमांक :-एफ/ गलता जी/लेखा/2025/१३१


दिनांक :-24.04.25

## अल्प कालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना 01/2025-26

मंदिर ठिकाना गलता जी के अधिनस्थ मंदिरों में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु, पुष्पमाला, पुष्प, फूलबंगला झांकी आदि बागाती सामान की आपूर्ति हेतु अधिकृत सप्लायर्स/पंजीकृत व्यापारियों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द लिफाफे में सिगल स्टेज, बिना किसी शर्त के निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	उपापन की जाने वाली सामग्री/सेवा का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बोली प्रतिभूति राशि रु.	बोली प्रपत्र शुल्क राशि रु.	ई-बोली प्रोसेसिंग फीस रु.	ई-बोली दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की दिनांक एवं समय	ई-बोली दस्तावेज अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ई-बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुष्पमाला, पुष्प, फूलबंगला झांकी आदि बागाती सामान विस्तृत विवरण के अनुसार	1800000	36000	500	500	दिनांक 24.04.2025 6.00 pm	दिनांक 30.04.2025 6.00 pm	दिनांक 01.05.2025 11.30 am

- (1) ई-बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (2) ई-बोली केवल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ही स्वीकार की जायेगी। वित्तीय बोली/प्राइस बिड के लिए ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में ही राशि का अंकन किया जाना है।
- (3) बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस e-GRAS चालान के माध्यम से चालान जिला लोकेशन-जयपुर शहर, विभाग- देवस्थान विभाग एवं कार्यालय का नाम- सहायक आयुक्त द्वितीय, देवस्थान विभाग, जयपुर के पक्ष में जमा कराई जानी होगी।
- (4) ई-बोली (तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड) दिनांक 01.05.2025 को प्रातः 11:30 बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के कक्ष में उपस्थित बोलीदाताओं /संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
- (6) किसी ई-बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

  
जिला कलक्टर  
जयपुर



कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
(प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी)  
ई-बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम .....
2. डाक का पता .....
3. फोन/मोबाईल नं० .....
4. ई-मेल .....
5. बैंक का नाम .....
- IFSC Code .....
- खाता संख्या .....
6. फर्म की पंजीकरण संख्या .....
- पंजीकरण की दिनांक .....
- पंजीकरण का वर्ष .....
- फर्म का जी.एस.टी. नम्बर .....
- फर्म का TAN/PAN No. ....
7. फर्म के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी।
8. बोली प्रतिभूति राशि रु. 36,000/-, बोली प्रपत्र शुल्क रु. 500/- एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस रु. 500/- e-GRAS चालान के माध्यम से चालान जिला लोकेशन-जयपुर शहर, विभाग-देवस्थान विभाग एवं कार्यालय का नाम- सहायक आयुक्त द्वितीय, देवस्थान विभाग, जयपुर के पक्ष में जमा कराई जानी होगी।
9. मैं/हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी) द्वारा जारी की गई ई-बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त ई-बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही बोलीदाता द्वारा बोली की समस्त वर्णित नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप विभाग द्वारा जारी बोली दस्तावेज को हस्ताक्षरित कर तकनीकी बोली कवर में अपलोड किया जाना होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/प्राईस बिड को छोड़कर शेष बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं कागजात के साथ तकनीकी वाणिज्यिक बोली/क्वालिफाईड बिड के साथ हस्ताक्षरित कर स्कैन कर ई-प्रकयोरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है। वित्तीय बोली/प्राईस बोली ई-प्रकयोरमेंट पोर्टल पर निर्धारित BOQ में भरना है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

शर्त :-

1. निविदा क्रय करते समय जीएसटी नम्बर/आयकर का चुकता प्रमाण पत्र मय अन्य वांछित/चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर अपना पत्र व्यवहार का व स्थायी पता लिखना अनिवार्य होगा।
3. अनुबन्ध की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 या आगामी आदेश तक के लिये होगी जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकता है।
4. डाक/तार मे प्राप्त निविदा तथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. किसी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्रों के निविदादाता व अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
7. निविदादाता को सम्बन्धित टैक्स कार्यालय से वैध जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, एवम् आयकर विभाग से जारी आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवम् छाया प्रति पेन नं. आदि जो लागू हो सलग्न करना आवश्यक होगा।
8. करार एवं धरोहर राशि :- सफल बोली दाता को कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी जयपुर के नाम से जमा करानी होगी, जो कि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के 60 दिवस पश्चात वापस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा।

जिला कलक्टर  
जयपुर

11/2/23

2

6

11/2/23



कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
(प्रशासक मंदिर ठिकाना गलताजी)

—: निविदा की सामान्य शर्तें :—

सूचना:- निविदा भरने वालों के लिए अपने ई-बोली भरते समय इन शर्तों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही अभिभावी होंगे।
2. दरों की यूनिट का किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तथा दरों का इन्द्राज अंको तथा शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए।
3. निविदा दर प्रस्ताव केवल उन्ही फर्मों / व्यापारियों द्वारा दिये जाना चाहिए जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं अथवा उन वस्तुओं सामानों आदि के सप्लायर्स जो वास्तव में उन सामानों को बेचता है, जिसके लिए उन्होंने निविदा में आवेदन किया है।
4. ठेकेदार अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को अन्य एजेंसी के लिए नहीं देगा, न उससे करवायेगा।
5. वितरण की गई सामग्री उत्तम किस्म की व ताजा होगी एवं इस प्रकार से वितरित माल को परिवर्तित करने पर व्यय या हानि हो वह सब निविदा देने वाले को वहन करनी होगी।
6. क्रय करने वाला अधिकारी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि सभी उचित समयों पर वितरक के कार्य क्षेत्र में जाता रहेगा। उक्त अधिकारी/प्रतिनिधि माल की जाँच करने की शक्ति रखेगा।
7. निविदा प्रस्तुतकर्ता अपने दुकान व गोदाम का पूर्ण पता जहाँ सामान का निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम और पता दिया जावे, जिससे कार्य हेतु सम्पर्क किया जावे। नये-नये व्यवसाय में आये व्यक्तियों तथा विक्रेताओं को अपनी बैंक से परिचय पत्र प्राप्त कर पेश करना आवश्यक होगा।
8. यदि अनुमोदित सामग्री से भिन्न माल वितरण की जाती है तो वह रद्द की जाकर बिना अतिरिक्त मूल्य निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलने होंगे। यदि राजकीय हित में उनको परिवर्तन करना संभव नहीं है तो ऐसे माल की कीमतें उचित रूप से कम प्रदाय की जायेगी। बागाती सामग्री में फूल मालाएँ, पुष्प आदि की आपूर्ति ताजे फूलों की निर्धारित पूजा अवधि में की जायेगी मुरझाए फूलों की मालाएँ एवम् अन्य बागाती सामग्री स्वीकार नहीं होगी।
9. निविदा देने वाला व्यक्ति माल को सही तरीके से पैकिंग में भेजने के लिए जिम्मेदार होगा एवं निर्धारित स्थान पर पहुँचाना होगा, किसी प्रकार की कमी हुई तो उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी निविदा देने वाले व्यक्ति की होगी।
10. सभी दरें यांछित स्थान तक एफ.ओ.आर. होनी चाहिए तथा उसमें सभी कर शामिल होने चाहिए स्थानीय वितरण करने के मामले में भी सभी कर को शामिल किया जाना चाहिए व सरकार द्वारा उसके लिए गाड़ी भाड़ा या व्यय नहीं दिया जायेगा, उनकी पूर्ति ई-बोली दायरे के भीतर की जायेगी आपूर्ति आदेश के तीन दिवस में माल सप्लाय की व्यवस्था करनी होगी।
11. माल को अनुबंध किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यदि वितरण संतुष्टि के अनुसार माल आपूर्ति नहीं किया गया है।
12. निविदा देने वाले को हर पेंपर के पृष्ठ के अन्त में निविदा पर अनुबंधित समस्त शर्तों को मालिक के सम्मुख में हस्ताक्षर करने चाहिए।
13. निविदा देने वाले को निविदा दरों को स्वीकृत किया जाता है, आदेश देने की अवधि के भीतर माल का वितरण करने की व्यवस्था करना होगा अन्यथा निविदा रद्द किया जायेगा।



14. फर्म / व्यापारी को राशि का भुगतान उनके द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उसके बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण द्वारा किया जावेगा।
15. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है निश्चित अवधि में माल भेजने में असफल रहता है तो क्रयकर्ता अधिकारी पुनः निविदा आमंत्रित करके या अन्य किसी भी सप्लाई की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होगा जो भी हानि विभाग को होगी उसकी पूर्ति वितरक की अमानत राशि से पूरा किया जावेगा।
16. किसी भी प्रकार से अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. विवादास्पद मामलों में 10 से 25 प्रतिशत राशि रोक ली जावेगी तथा विवादास्पद आईटम का निपटारा होने पर उनके परिणाम के अनुसार लौटाई जावेगी।
18. प्रशासक किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, यह आवश्यक नहीं है कि निम्नतम दरों को ही स्वीकार करें यह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बतलाये बिना रद्द कर सकता है। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई वस्तुओं या मात्रा के लिए सरकार के निर्णय पर उनमें सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
19. किसी भी पार्टी (सरकार या ठेकेदार) द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे न्यायालय में चलाई जा सकेगी किसी भी प्रकार का न्याय क्षेत्र जयपुर न्यायालय होगा।
20. निविदा दाता को मंदिर ठिकाना गलता जी के अधिनस्थ मंदिरों में प्रतिदिन आपूर्ति किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रतिदिन आपूर्ति के अतिरिक्त विभिन्न उत्सवों हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक से इंडेंट (आदेश) जारी किये जावेगे। उक्त सामग्री समय पर आपूर्ति न करने की दशा में न्यूनतम 1 प्रतिशत व अधिकतम 10 प्रतिशत राशि की कटौती परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एल0डी0) के रूप में की जावेगी।
21. निविदादाता को आपूर्ति पश्चात मंदिर पर उपस्थित मुखिया/पुजारी या चौकीदार को सामग्री संभलाकर अपने बिल पर प्राप्ति हस्ताक्षर मय दिनांक के करना आवश्यक होगा इसके बिना बिलों का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
22. सामग्री की आपूर्ति सलग्न प्रपत्र अनुसार वर्णित मंदिरों में उनके आगे अंकित संख्या अनुसार प्रतिदिन एवं विशेष तिथि (एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, शनिवार व उत्सव आदि पर आवश्यकता अनुसार करनी होगी। मंदिरों में सप्लाई किये जाने वाली पुष्प, माला, पुष्प आदि सामग्री में आवश्यकता अनुसार कमी व अधिक मांग की जा सकती है।
23. किसी भी सरकारी संस्थान में फर्म ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, जिसका शपथ पत्र राशि रु. 50 के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य है।
24. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
25. बोली प्रतिभूति राशि रु. 36,000/-, बोली प्रपत्र शुल्क रु. 500/- एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस रु. 500/- eGRAS चालान के माध्यम से जमा कराई जानी होगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
26. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
  - (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
  - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
  - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
  - (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।
  - (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-

- (अ) ई-बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से 15 दिवस में सामग्री के प्रदाय आदेश की रकम की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास से प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500/- रुपये राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। जिसका व्यय सफल बोलदाता को वहन करना होगा।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance SecurityDeposit):-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सेवा कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में सेवा कार्य आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

29. भुगतान:-

- (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। बिल का भुगतान आवश्यक कर/वसूली कटौती उपरान्त किया जावेगा।
- (ii) बिल का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जावेगा। समिति की सकारात्मक रिपोर्ट/सत्यापन उपरान्त बजट उपलब्धता अनुसार आवश्यक कर/वसूली की कटौती उपरान्त किया जावेगा।

30. प्रशासक, मन्दिर ठिकाना गलताजी एवं देवस्थान विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर व पूरा पता  
मय मोबाईल नं.



## Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

### Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
  - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

123

21

1

6



**Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications  
Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

### **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner Devasthan Department Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Devasthan Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.



(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
- (i) hear all the parties to appeal present before him: and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

1723

2

1723

1723

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
  - (i) Name of the appellant :
  - (ii) Official address, if any :
  - (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal :.....  
.....  
..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer :.....  
.....  
.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature



#### Annexure D : Additional Conditions of Contract

##### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
  - II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and
  - III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.  
if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.
2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities - As per rules 73 of RTPP Rules, 2013

1733

21

AP

6

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
(प्रशासक मंदिर ठिकाना गलताजी)

-:: सूची बागाती सामान ::-

मंदिर ठिकाना गलता जी एवं अधीनस्थ मंदिर परिसर में पुष्पगाला, पुष्प, फूलबंगला झांकी आदि बागाती सामान की आपूर्ति हेतु उपापन के लिये ई-वित्तीय बोली/प्राईस बिड ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

क्र. सं.	नाम वस्तु	ईकाई	सामग्री राशि प्रति ईकाई रुपये	जीएसटी राशि (यदि देय हो तो)	कुल राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	
1	गुलाब की माला सुगन्धित एक हाथ लम्बी	प्रति नग			
2	गेदा की माला सुगन्धित एक हाथ लम्बी	प्रति नग			
3	गजरा एक हाथ लम्बा	प्रति नग			
4	सफेद गुलदाउदी माला सुगन्धित एक हाथ लम्बी	प्रति नग			
5	कुज माला सुगन्धित एक हाथ लम्बी	प्रति नग			
6	लहरिया का गजरा सुगन्धित एक हाथ लम्बा	प्रति नग			
7	नारंग गजरा एक हाथ लम्बा	प्रति नग			
8	गुलाब पत्ती	प्रति किलो			
9	खुले फूल	प्रति किलो			
10	बिलपत्र	प्रति किलो			
11	बांदरवाल	प्रति दो मीटर			
12	फूल बंगला झांकी साईज 4 फिट X 7 फिट	प्रति ईकाई			

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 3 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 4 से 6 तक में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों का ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 4 व 6 में दरें पूर्णांक में भरी जायेगी।
- उपर्युक्तानुसार उद्धरित की गई दरें अनुबन्ध के दौरान स्थिर रहेगी।
- वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन कॉलम संख्या 4 में अंकित दरों के आधार पर किया जायेगा।
- एक से अधिक फर्मों की दरें समान पाये जाने पर फर्म का चयन उच्च अनुभव के आधार पर लिया जायेगा। अन्तिम निर्णय उपापन संस्था द्वारा लिया जायेगा जो सर्वमान्य होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर



मन्दिर ठिकाना गलताजी एवं अधीनस्थ मन्दिरों हेतु मासिक पुष्प माला/पुष्प आदि का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	मन्दिर का नाम	दिवस अनुसार हेतु माला/पुष्प																							
		शिव		गुरुवार		शनिवार		संक्रान्त गुरुवार/शनिवार		शुक्र		सहस्रिका का गुरुवार		भोरपा गुरुवार		गुरुवार पत्ती साक		कुल फूल/बिलपत्र		बादगदान		कुल बागवत प्रशस्ती			
		मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि	मास प्रतिदिन	मास विशेष तिथि				
1	मन्दिर की गलताजी, गलता बाग				30			25	अवसरवती पुष्पा	5	25						500 ग्राम	1 किलो		200 बिलपत्र			2		
2	मन्दिर की चारों ओर का बागवती	7			10			2	20								500 ग्राम	1 किलो		100 बिलपत्र			2		
3	मन्दिर की दीवारबाग के बागवती	7						1	20								100 ग्राम	500 ग्राम							
4	मन्दिर की गलता चारों ओर का पुष्प बाग	3			10			1									500 ग्राम	500 ग्राम		100 बिलपत्र					
5	मन्दिर की चारुपुष्प की पुष्प बाग	3						1									100 ग्राम	100 ग्राम							
6	मन्दिर की बाग की छोटी बाग			2										6			100 ग्राम	100 ग्राम							
7	मन्दिर की चारुपुष्प की छोटी बाग			2													100 ग्राम	100 ग्राम							
8	मन्दिर की बागवतबाग की, बागवती चारों ओर का बाग वती बागवत की पुष्प के बाग	6												4			100 ग्राम	100 ग्राम							
9	मन्दिर की बाग चारुपुष्प की, बागवत	8		2										2			100 ग्राम	100 ग्राम		100 बिलपत्र					
10	मन्दिर की चारुपुष्प बाग की, की बागवत बागवत की बागवत बागवत	8	5														100 ग्राम	100 ग्राम							
	कुल	42	5	6	50			30	40	5	25			11			2 किलो 200 ग्राम	3 किलो 600 ग्राम	500				4		

नोट- सामग्री की आपूर्ति सलग्न प्रपत्र अनुसार वर्णित मंदिरों में उनके आगे अंकित संख्या अनुसार प्रतिदिन एवं विशेष तिथि (एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, शनिवार व उत्सव आदि पर आवश्यकता अनुसार करनी होगी। मंदिरों में सप्लाई किये जाने वाली पुष्प, माला, पुष्प आदि सामग्री में आवश्यकता अनुसार कमी व अधिक मांग की जा सकती है।

जिला कलेक्टर  
जयपुर